19

SHRI F. A. AHMED: The idle capacity of the public undertaking has also to be removed.

SHRI S. K. TAPURIAH: I did not hear the reply.

SHRIF. A. AHMED: I said not only because that is the reason, but if there is idle capacity in the public undertaking and that public undertaking can undertake production of that item, it will certainly be given preference.

श्री तलशीदास जाधव : ग्रध्यक्ष महोदय. पिंकलक और प्राइवेट सेक्टर की इन्डस्टीज में कैपेसिटी आइडिल पड़ी रहती है वह न हो भीर प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्टस जोकि भ्रपनी इन्डस्ट्री खोलना चाहते हैं उनमें पब्लिसिटी करने के लिए, उनको बताने के लिए जिससे उनकी समक्ष में भाजाये किवे कौन सी इन्डस्टी खोलें, इन सारी बातों की जानकारी उनको देने के लिए सरकार की क्या मशीनरी है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : हमारे पास जो भी कोई इन्द्रस्टियलस् एप्लीकेशन लेकर लाइसेन्स के लिए प्राता है तो हम उसको समभाते बुभाते हैं कि इसकी कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी नहीं है, भगर इस इन्डस्ट्री को भ्राप चलायेंगे तो फायदा होगा-अगर वे हमारी बात मान लेते हैं तो अच्छा है, नहीं मानते हैं तो उनकी मरजी की बात है। हम उनको जरूर बताते हैं कि किस लाइन में फायदा है।

## मतपत्र

## \*694. भी प्रकाशवीर शास्त्री : भी शिव कुमार शास्त्री :

क्या विधि तथा समाज कल्यारा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वया कई राज्यों में हुए गत मध्याविध चनावों में मतपत्रों पर चनाव धिषकारी द्वारा हस्ताक्षर किये ज ने की व्यवस्था की गई थी ;

- (ख) क्या सरकार को इस भ्राशय की शिकायतें मिली हैं कि यह व्यवस्था होने पर भी कुछ मतपत्रों का दुरुपयोग हमा; भौर
- (ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मविष्य में इस प्रकार की बात को रोकने के लिए कुछ भ्रौर विशेष उपाय ग्रपनाने का है?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEP-ARMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM): (a) Yes, Sir. (The ballot papers are signed on the back by the presiding officers of the polling stations before the commencement of the poll and not by the polling officers as mentioned in the question).

- (b) No, Sir.
- (c) Does not arise.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हैं कि सरकार को जब इस प्रकार की शिकायतें समय-समय पर मिलती रहती हैं कि बड़े-बड़े राजनीतिक ग्रधिकारी सरकारी ग्रधिकारियों का उपयोग करते हैं तो केवल किसी एक बडे श्रिविकारी के हस्ताक्षरों से क्या इस व्यवस्था में कुछ ब्रुटि ग्राने की सम्भावना नहीं है ? यदि है, तो फिर को ऐसा कारगर उपाय जिससे मत-पत्रों का दूरुपयोगन हो सके, या किसी ऐसी व्यवस्था के ऊपर निर्वाचन ग्रायोग विचार कर रहा है ?

श्री मु॰ यूनस सलीम : यह जो नियम निकाला गया हैं उसका मकसद यह है कि जो बोट डाला जाये उमके मुताल्लिक लोगों को इत्मीनान हो कि वह सही तरीके से डाला गया है और महफुज रखा गया है चुनांचे बैलेट-पेपर डालने के लिए जो डिब्बा होता है उसमें न सिर्फ यह कि प्रिजाइडिंग ग्राफिसर के पेपर पर साइन होते हैं बल्कि बैलेट बानस को महफ्ज भी कर दिया जाता है-चारों तरफ से एक फीता लगाकर भार गिरह लगाकर

उसे सील कर दिया जाता है श्रीर पोलिंग एजेन्ट को भी इजाजत रहती है कि अगर वह चाहे तो उस पर श्रपनी सील लगा दे ....(व्यवधान)....

MR. SPEAKER: The whole procedure need not be explained now. He may answer the specific question put by the hon. Member. The hon. Member may repeat his question.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मेरा सीघा सवाल यह है कि ऐसी शिकायतें वक्तन-फवक्तन श्राप के कानों में पड़ती रही होंगी कि जो बड़े बड़े राजनीतिक लीडर हैं वे सरकारी अफसरों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, श्रीर आपने जो यह सिलसिला शुरू किया है तो इस की इबतिदा यहां से है कि सरकारी अफसर उस के ऊपर अपने सिगनेचर्स करे। तो क्या वह राजनीतिक लीडर एक किसी ब्रादमी को अपने लिये इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे इस की बचत के लिये इलेक्शन कमीशन ने क्या कोई ऐसे कारगर तरीके अपनाने की सोची है जिस से आगे चलकर आप को इस तरह की दिक्कतें पेश न आयें?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON): This system that the presiding officer shall sign on the back of the ballot papers has been introduced to see the bogus ballot papers are not used later. The question is, suppose the presiding officers also misbehave? There have been no complaints received. My colleague was saying that apart from the presiding officer signing on the back of the ballot papers, there is provision for sealing the ballot boxes etc. If even in spite of all these precautions, there is misbehaviour, then it will be time enough to consider what further should be done.

भी प्रकाशवीर शास्त्री : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने जो भ्रपना सवाल रखा था उस का मैं खुलासा करना चाहता हुं। पीछे ग्राप को पता होगा कि जम्मू-कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ उसके सिलसिले में इसी हाउस में कुछ ऐसे बैलट पेवसं बस्शी गुलाम मुहम्मद ने दिखाये थे, जो इलेक्शन से एक दिन पहले ही बोटसं को डिस्ट्रीब्यूट कर दिये गये थे, उन पर सरकारी नम्बर थे, सारी चीजें वही थीं, भीर सरकारी मशीनरी ने पहले बाट कर के भ्रपने हक में इस्तेमाल किये। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की दिक्कत से बचा जा सके, बैलट पेपर का इस प्रकार गलत इस्तेमाल न हो, उस के लिये सरकार कोई बन्धन लगाने जा रही है?

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: That was submitted to the Election Commissioner also.

SHRI GOVINDA MENON: These arrangements have been seen to work properly. If even in spite of these, there has been misuse and misbehaviour, we shall consider what further to do.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: It was a specific instance that the hon. member gave.

श्री शिव कुमार शास्त्री: प्रभी मन्त्री जी ने उतर देते हुए यह कहा है कि सरकारी प्रधिकारी के हस्ताक्षर मतदान पत्र पर इसलिए रहते हैं कि वह सुरक्षित रहे, महफूज रहे। लेकिन पिछले दिनों राजस्थान की एक याचिका, जिस की चर्चा समाचार—पत्रों में बहुत हुई, बहु इस प्रकार की थी कि जिस समय सरकारी प्रधिकारी ने उन पर डबल मोहर लगा कर जो चहेता था उस का उस को विजयी बनाया और दूसरे के मत पत्र कैं सिल करा दिये। तो इस प्रकार की बुराई न हो क्या इस के निराकरण के लिए ध्राप कोई उपाय सोच रहे हैं?

SHRI GOVINDA MENON: This is an allegation of misbehaviour and I am sure the election tribunal will go into it. The allegation is that at the time of counting when the signature was found missing, it was given by the presiding officer. That is certainly a case of misbehaviour.

श्री म्रोंकार लाल बोहरा: यह सही है कि हमारी चुनाव मशीनरी बराबर प्राय: श्रच्छे ढंग से काम करती रही है। लेकिन पिछले मध्या—विध चुनावों के दौरान में, जिस प्रकार चार प्रान्तों में मतदान हुम्रा है मैं जानना चाहूँगा कि क्या उन्हें पश्चिम बंगाल से और कई जगहों से समाचार मिला है कि इस बार प्रीसाइडिंग म्राफ़िससं को समय से पहले मत पत्र देने से बोगस भतदान हुआ और समय से पहले ही बंलट बोक्स मर दिये गये, इस की कोई शिकायत भ्राप को मिली है? यदि हां तो भ्रापने क्या कार्यवाही की है?

दूसरा प्रश्न यह है कि जिस तरह से श्राप ने श्रमण अलग पार्टियों के एजेन्टों को छै, साई छै बजे का टाइम दिया था लेकिन मुक्ते पता चला है कि कलकता में श्रीर अन्य जगहों से सभी एजेन्ट नहीं श्राये उस के पहल ही बैलट बौक्स बन्द कर दिये गये श्रीर परिएाम इस का यह हुश्रा कि जहां मतदाताश्रों की संख्या कम थी वहां ज्यादा बैलट बौक्स भरे हुए पाये गये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस बारे में क्या कोई जांच कमेटी बैठाने का विचार कर रहे हैं?

MR. SPEAKER: These are all irregularities which must come to the notice of the Election Commission.

SHRI GOVINDA MENON: If the agents did not come in time, the election process cannot wait for their arrival. They have to report in time. Very few complaints have been received.

SHRIS. KUNDU: At the time of elections, when a voter comes before the presiding officer, he presents a slip and the presiding officer gives him a ballot paper after making an entry in the voters' list. When there is an election dispute and when the ballot papers are inspected, it could easily be found out with the help of that list as to which voter had voted for whom. Is the hon. Minister thinking of any amendment in the Law and rules

to maintain the secrecy of the ballot because the secrecy to a large extent is not maintained in this process?

SHRI GOVINDA MENON: When there are election petitions, sometimes the boxes are opened when some allegations are probed into. It is true that in exceptional cases the secrecy of the ballot is violated by the judge because he has to know whether a certain person who is really a voter did receive the ballot paper and voted. But these are all exceptional cases.

SHRI D. N. TIWARY: In the midterm elections, two things came to light in Bihar. Several ballot papers were put in boxes unsigned. Secondly, in some cases the number of ballot papers in the boxes were more than the number of voters there. Have such complaints been received by the Government and if so are the Government going to enquire into them to devise ways and means to stop them?

SHRI YUNUS SALEEM: We have not received such complaints so far. If complaints are received, enquiries will be made.

श्री गुलाम मुहम्मद बस्शी: मैं जनाब-वाला, मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि जो गुजिश्ता इलेक्शन में बातें हुई कश्मीर में, उन को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इलेक्शन पेटीशन्स में 10 फैसले इस वक्त तक हो चके हैं जहांपर कि इलेक्शन्स को गलत करार दिया गया भीर स्ट्रिक्चर्स भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टने पास किये। ग्रब उसी के नतीज के तौर पर 10 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, छंका ऐलान हम्राहै भीर चारका ऐलान दो, चार दिन में होने वाला है। तो मैं म्रानरेबिल मिनिस्टर से सिर्फ इतनी दरख्वास्त करू गा कि वह भ्रव की दफा यह देखें कि कोई ऐसी शिका-यत वहां पैदा नहीं होने दी जाय जिस की वजह से सारा मुल्क आज बदनाम हो रहा है भीर जिस की वजह से फ़ेयर इलेक्शन के नाम को घब्बा लग रहा है और हम दनियाको मूंह

नहीं दिखा सकते । सिर्फ मैं यही जानना चाहता हं श्रीर कुछ नहीं ।

एक चीज़ और धर्ज करना चाहता है धाप कहेंगे कि चीफ़ इलेक्शन किमश्नर को भेज देंगे। कश्मीर की धाब हवा ऐसी है कि पिछली दफा दो बाई इलेक्शन्स के जमाने में चीफ़ इलेक्शन किमश्नर को वहाँ भेजा। इलेक्शन्स हो रहे थे श्रीनगर में और वह सुपरवाइज कर रहा था उन को पहलगाम से क्यों कि वह ठण्डी जगह है। इलेक्शन्स हो रहे थे बड़गाम में धौर वह सुपरवाइज कर रहा था दाछीगाम से। धौर जब हमने कहा कि एक जगह कुल 825 लोग हैं वोट देने वाले एक पर्टिकुलर बूथ पर उस में से साढे ग्यारह भी बैलट पेपर निकले।

MR. SPEAKER: This is Question Hour. You can only put a question.

श्री गुलाम मुहम्मद बरुगी: मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि प्रव की दका खुदारा है मोक सी को बचाने के लिये कोशिश करें कि इस बार इत्मीनान से ग्रीर दयानतदारी से वहां खुनाव हों और सुपीम कोर्ट ग्रीर हाई कोर्ट के डिसीजन्स के मुताबिक इस किस्म की बातें न हों। इस के लिये ग्राप क्या इन्तजाम कर रहे हैं? पहलगाम में जाकर चीफ़ इलेक्शन कमिशनर न बैठें।

SHRI GOVINDA MENON: In the light of the allegations made by the hon. Member from Kashmir, I shall request the Chief Election Commissioner to bear in mind the suggestions made by him.

SHRI GULAM MOHAMMAD BAK-SHI: Ask him to go to Gulmarg or other places where elections are held, not to Pahalgam.

SHRI BISHWANATH ROY: In view of the fect that in some parts of a state during the last mid-term pole the poor voters, especially Harijans, were compelled under threat not to go to the polling-stations or polling centres and get the ballot papers.

May I know whether the Government is having any proposal under consideration for avoiding this sort of compulsion under threat to life and property of the voters?

SHRI M. YUNUS SALEEM: This question does not arise out of the main question.

SHRI PILOO MODY: Sir, the secrecy of the ballot is the first charge on any democratic electoral system. Minister, in an answer to a supplementary put by Shri Kundu, has said that only in rare cases where it is necessary to prove what happened to a particular vote that the judges can find out. It is a known fact in this country that elections are not by secret ballot: as a voter approaches the polling booth, he is handed a ballot paper and the number on that ballot paper is registered against his name on the electoral rolls, with the result that it would always be possible for a vindicative Government or a vindicative officer or a vindicative Minister to find out, if he so desires, who voted for whom. Therefore, I think this rather nefarious practice of jotting down the number against the name of voter in the electoral rolls has to be discontinued, or alternately, the number on the ballot paper itself-not on the slip but on the ballot paper itself-should be omitted. the Law Minister will say whether he would take any action for setting right this particular anomaly.

SHRI GOVINDA MENON: The papers regarding the election, after counting, are all sealed and kept under the custody of the Election Commissioner. It is only in rare cases, of a case going to an election court and the scrutiny of the ballot paper becomes necessary—it is in those cases alone—that the identity of the voter will be known.

SHRI PILOO MODY: Sir, he has completely missed the point. It is not whether it is or is not possible; the fact is, it is possible and therefore, it does not assure secrecy.

श्री चिक्तका प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कई जगहों पर चुनाव में यह देखने में श्राया कि जो सही मतदाता हैं उनको मतदान-पत्र नहीं मिले तो सरकार क्या इस बात की व्यवस्था करेगी कि सही मतदाताओं को यह मतदानपत्र मिल सकें।

Oral Answers

श्री मु॰ यूनस सलीम : हमारे पास अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है लेकिन जो मी इस किस्म की शिकायत लाई जायगी तो हम उस की जरूर जांच करेंगे श्रीर जरूरी कार्यवाही करेंगे।

SHRI BAL RAJ MADHOK: Sir there are two specific allegations made : one is that in certain cases, the presiding officers, whether they sign the ballot papers or not, take them in such large numbers or indiscriminately, or somebody puts pressure on them, that they almost give away all the ballot papers that they have with them, without caring whether all those voters have come or not. And that is why a number of cases have arisen in Bihar and others States. It has also come to mean that where the total votes are 900, the number of ballot papers are almost 900 or sometimes even more. This means that the presiding officer does not use his intelligence or is pressurised.

The second allegation is that sometimes the presiding officers are cajoled or pressurised to remove all the polling agents of other parties so that one party which is dominating there or which is in a majority there can come and brin anyone, whether he is a voter or not, and get ballot papers for him and put them in the ballotbox. These are two specific grievances or complaints which have come. May I know what the Government is going to do to remove this.

SHRI GOVINDA MENON: These are manifestly malpractices, and these can lead to an election petition, Beyond that, what am I to say?

मतदाताचों के लिए परिवहन सुविधा

\* 695. भी मोलहूप्रसाव: भी रामचरण:

क्या विधि तथा समाज कल्याल मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चुनावों के दौरान केवल मतदान वाले दिन प्रस्थेक मतदाता के लिये परिवहन की सुविधायें उपलब्ध करने का है जिसमें उम्मीदवार मतदाताओं के लिये परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था न कर सकें और वे इस प्रकार इसका अनुचित लाभ न उठा सकें; और

## (ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM): (a) No, Sir.

(b) It is not physically possible or practicable for the Government to make transport facilities available to each and every voter on the polling day. However, the Election Commission are examining proposals to combat the evil relating to illegal hiring or procuring of vehicles.

श्री मोलह प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मध्या-विध चनात्रों में सत्तारूढ पार्टी द्वारा परिवहन का खास तौर पर दृष्पयोग किया गया। अब चनावों में बोट देने के लिए जनता भले ही न राजी रहे लेकिन जिनकी गाडी पर चढ कर वह एक दिन चले जाते हैं उन के साथ उन की सहानुभृति हो जाती है भीर वह सवारी वाले को बोट दे देते हैं। लाखों ऐसे गरीब मतदाता हैं जोकि उस से पहले कभी सवारी पर चड़े नहीं होते हैं और इस तरह से मतदान के दिन जो उन्हें सवारी पर चढने का मौका मिल जाता है तो वह सवारी एरेंज करने वाली पार्टी को अपना मत जाकर देही आते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस परिवहन के दुरुपयोग को रोकने के लिए वह क्या स्थायी व्यवस्थाकरने जारहे हैं?

श्री मुयूनस सलीम : अगर कोई चुनाव में खड़ा हुमा उम्मीदवार वोटर्स को मोटर वैहकिल